झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

डब्ल्यू0पी0 (एस) संख्या 260 वर्ष 2021

परेश चन्द्र दास, उम्र लगभग 63 वर्ष, पे0–स्वर्गीय सरोज कुमार दास, निवासी ग्राम–चल्लियामा, डाकघर–चल्लियामा, थाना–निमडीह, चेलेमा, सरायकेला–खरसावाँ, बमनी चल्लियामा, झारखण्ड ... . याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य द्वारा प्रधान सचिव, उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग, नेपाल हाउस, डोरण्डा, डाकघर एवं थाना–डोरण्डा, जिला–राँची

2. निदेशक, उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग, नेपाल हाउस, डोरण्डा, डाकघर एवं थाना–डोरण्डा, जिला–राँची

3. निबंधक, कोलहान विश्वविद्यालय, डाकघर एवं थाना–चाईबासा, जिला–पश्चिम सिंहभूम

.... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार द्विवेदी

याचिकाकर्त्ता के लिए: श्री राजेश कुमार, अधिवक्ता।

उत्तरदाता–राज्य के लिए: श्री अनिल कुमार सिंह, एस0सी0–पंचम् के ए0सी0

उत्तरदाता–विश्वविद्यालय के लिए : श्री आकाश दीप, अधिवक्ता।

03/05.03.2021 श्री राजेश कुमार, याचिकाकर्त्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता, श्री अनिल कुमार सिंह, प्रतिवादी–राज्य के लिए विद्वान अधिवक्ता के साथ श्री आकाश दीप, प्रतिवादी संख्या 3–विश्वविद्यालय के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना।

कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस रिट याचिका पर सुनवाई की गई है। किसी भी पक्ष ने ऑडियो–वीडियो के किसी भी तकनीकी खराबी के बारे में शिकायत नहीं की है और उनकी सहमति से इस मामले को सुना गया है।

याचिकाकर्त्ता ने उत्तरदाता को यह निर्देश देने के लिए इस समादेश याचिका को दायर किया है कि याचिकाकर्त्ता के वेतन को पाँचवें एवं छठे संशोधित वेतनमान के अन्तर्गत 01.01.1996 एवं 01.01.2006 के प्रभाव से निर्धारित किया जाय। आगे यह प्रार्थना किया गया है कि पेंशन को छठे पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतनमान में 01.01.2006 के प्रभाव से निर्धारित किया जाय।

याचिकाकर्त्ता को सिंहभूम कॉलेज, चाण्डिल में 01.06.1980 से दैनिक मजदूरी पर तदर्थ आधार पर चपरासी के रूप में नियुक्त किया गया था। याची की सेवा माननीय उच्चतम न्यायालय के वाद संख्या 409/1991 के आदेश की शर्तों के अन्तर्गत स्वीकृत पद के विरूद्ध नियमित की गई थी। एस0बी0 कॉलेज, चाण्डिल में क्रम संख्या 7 पर याचिकाकर्त्ता का नाम है। याचिकाकर्त्ता को 29.12.2003 को घाटशिला कॉलेज, घाटशिला में स्थानांतरित किया गया है। राँची विश्वविद्यालय ने दिनांक 18.12.2008 के आदेश द्वारा कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय वेतनमान 1996 के प्रभाव से लागू किया और राँची विश्वविद्यालय, राँची के तहत सभी घटक कॉलेजों के मासिक खर्च को जारी करने के लिए मानव संसाधन विकास विभाग (उच्च शिक्षा), झारखण्ड सरकार ने घाटशिला कॉलेज,

घाटशिला के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतनमान को दिनांक 04.06.2010 के आदेश द्वारा दिनांक 01.01.1996 के प्रभाव से संशोधित किया, जिसमें 21 कर्मचारियों के वेतनमान को संशोधित किया गया और 23 व्यक्तियों के संशोधन को लंबित रखा गया। याचिकाकर्त्ता ने प्रतिनिधित्व का आवेदन दायर किया है और याचिकाकर्त्ता 30.11.2017 को सेवानिवृत हो गया है। घाटशिला कॉलेज, घाटशिला के प्राचार्य ने पहले ही याचिकाकर्त्ता के मामले को कोलहान विश्वविद्यालय, चाईबासा में 05.06.2017 को सिफारिश की है। याचिकाकर्त्ता का कॉलेज अब कोलहान विश्वविद्यालय के अन्तर्गत है। याचिकाकर्त्ता के अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्त्ता का मामला एल0पी0ए0 संख्या 542/2014 डिवीजन बेंच द्वारा दिनांक 08.05.2018 के दिये गये निर्णय से आच्छादित है जो समादेश याचिका के अनुलग्नक–10 में निहित है।

श्री अनिल कुमार सिंह, प्रतिवादी–राज्य के लिए विद्वान अधिवक्ता के साथ–साथ श्री आकाश दीप, प्रतिवादी संख्या 3–विश्वविद्यालय के लिए विद्वान अधिवक्ता संयुक्त रूप से निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्त्ता को प्रतिवादी संख्या 3 से सम्पर्क करने का निर्देश देते हुए समादेश याचिका को निपटाया जा सकता है जो एक निर्णय लेगा और याचिकाकर्त्ता के दावे के भुगतान के लिए आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर और पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निवेदन पर विचार करते हुए, याचिकाकर्त्ता को दो सप्ताह की अवधि के भीतर नए प्रतिनिधित्व दाखिल करने के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 3 से सम्पर्क करने का निर्देश देते हुए समादेश याचिका का निस्तारण किया जा रहा है। यदि इस तरह का प्रतिनिधित्व

पूर्वोक्त अवधि के भीतर दायर किया जाता है, तो प्रतिवादी संख्या 2 नियमों, विनियमों और दिशा–निर्देशों के अनुसार याचिकाकर्त्ता के मामले पर विचार करेगा और चार सप्ताह के भीतर एक उचित आदेश पारित करेगा। यदि याचिकाकर्त्ता के पक्ष में निर्णय लिया जाता है, तो उसके बाद दो सप्ताह की अवधि के भीतर झारखण्ड सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया जाएगा।

उपरोक्त टिप्पणी और निर्देश के साथ, समादेश याचिका का निपटान किया जाता है।

(संजय कुमार द्विवेदी, न्याया0)